न्यायालय श्रीमान राजस्व माण्डल ग्वालियार जिला ग्वालियर म0प्र0

अपील क्र0 ..... / 2017

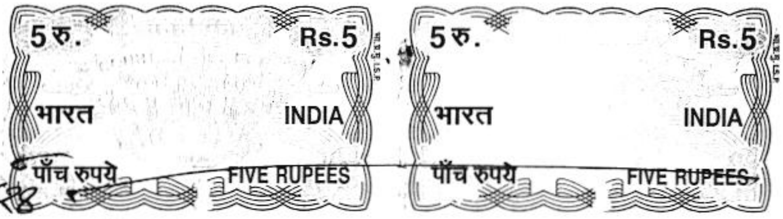

शंकर डोहर पिताश्री स्व0 लच्छा डोहर उम्र 80 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम हटिया तहसील रघुराजनगर सतना जिला सतना म0प्र0.. आवेदक

बनाम

1— रघुनाथ डोहर पिता श्री स्व0 विश्राम डोहर उम्र 60 वर्ष
2— लाल डोहर पिता श्री स्व0 विश्राम डोहर उम्र 55 वर्ष
3— दादूलाल डोहर पिता श्री स्व0 रामपति डोहर उम्र 48 वर्ष
4— ईश्वरदीन डोहर पिता श्री स्व0 गंगवा डोहर उम्र 68 वर्ष
5— जगरूपदास डोहर पिता श्री स्व0 रामआश्रय डोहर उम्र 65 वर्ष
6— चुनकी डोहर पत्नी श्री स्व0 गिरजाशरण डोहर उम्र 47 वर्ष
7— शिवलाल डोहर पिता श्री स्व0 रामआश्रय डोहर उम्र 50 वर्ष
सभी निवासी ग्राम हटिया तह0 रघु0 जिला सतना म0प्र0
8— शासन म0प्र0.. अनावेदकगण

आवेदन विरूद्ध आदेश दिनाक 13 / 4 / 2017 प्रकरण क्र016 / अपील / 2016 / 2017 न्यायालय कलेक्टर सतना जिला सतना म0प्र0 के विरूद्ध

द्वारा आज 2/6/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदक निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत कर विनयी है।

आवेदन के सक्षिप्त तथ्य

1— यह कि अनावेदक क्र0 1 ता7 के द्वारा आनुविभागीयअधिकारी तह0 रघु0 जिला सतना के न्यायालय मे वासस्थान दखलकार अधिनियम की धारा 5 के तहत मौजा हटिया तह0 रघु0 जिला सतना म0प्र0 की आराजी न0 592 के अंश रकवा के सम्बध मे अपना पुराना कब्जा बताते हुये पटटा प्राप्त करने का आवेदन पत्र दिये थे जिसमे आवेदक शंकर डोहर को न्यायालय के द्वारा सूचना जारी की गई थी जिसमे आवेदक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालंय के समक्ष अपना जबाव प्रस्तुत करते हुये यह उल्लेख किये थे कि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/अपील/सतना/भू.रा./17/1528 [illegible] / रघुनाथ सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
3/1/19	आवेदक की ओर से श्री कुँवर सिंह कुशवाह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला - सतना के प्रकरण क्रमांक 16/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 13-4-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग - रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18/04/19 को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	